न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 48/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज विराजमान ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर जर्ये उपासक गोपाल मिश्रा पुत्र स्व0 श्री किशनलाल मिश्रा जाति ब्राहमण निवासी गोठवाल गली, राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट/प्रार्थी

बनाम

1. सुबोध कुमार कश्यप पुत्र स्व0 श्री जगदीश कुमार कश्यप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
2. महेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीचन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. श्रीमती धीमा देवी पत्नि कालूराम जाति मीना निवासी सैनी स्कूल के पास, टहला रोड, राजगढ जिला अलवर राज0।
5. श्रीमती रजनी पत्नी सत्यपाल जाति महाजन निवासी ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर।
6. पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीचन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर।
7. हरिओम यादव पुत्र श्री बलवीर सिंह यादव जाति यादव निवासी श्रीचन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर।
8. लोकेश कुमार जांगिड पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
9. सविता देवी पत्नी मानसिंह मीना जाति मीना निवासी बहादरपुर तहसील रैणी जिला अलवर।
10. रामावतार पुत्र रामप्रताप जाति माली निवासी ग्रम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

11. जितेन्द्रसिंह पुत्र रेवडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भांकरी तहसील राजगढ जिला अलवर।
12. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नारायण जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
13. सरोज पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी खडोल्यान मौहल्ला, राजगढ हालवासी मेला का चौराहा के पास बस स्टैण्ड रोड, राजगढ जिला अलवर।
14. श्रीमती नीतू पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पाटन तहसील रैणी जिला अलवर।
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बहैसियत भूमिधारी तहसील राजगढ जिला अलवर।
16. उप पंजीयक, राजगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेन्टान/ अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1.श्री अशोक कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री अजीत यादव, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–10.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के निर्णय दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट वादी ने एक वाद विरूद्ध रेस्पो0 प्रतिवादीगण वास्ते इस्तकरारहक वो दुरूस्ती इन्द्राज वो स्थाई निषेधाज्ञा का तहत अदालत में इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 629 रकबा 0.03, 630 रकबा 0.20, 631 रकबा 0.66, 632 रकबा 0.02, 633 रकबा 0.70, 633/1031 रकबा 0.06, 634 रकबा 0.59, 650 रकबा 0.30, 651 रकबा 0.06, 653 रकबा 0.16 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.78 है0 वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त नम्बरान हाल बन्दोबस्त 2046 में कायम हुये हैं। विवादित आराजीयात के संवत 2046 से पूर्व साबिक खसरा नंबर 235 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 236 रकबा 18 बिस्वा, 237 रकबा 3 बिस्वा, 238 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 246 रकबा 13 बिस्वा, 247 रकबा 5 बिस्वा, 248 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 258 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 259 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम थाना थे तथा संवत 2014 से पूर्व साबिक खसरा नंबर 140 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 141 रकबा 3 बिस्वा, 141 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 153 रकबा 13 बिस्वा, 142 रकबा 4 बिस्वा, 140 रकबा 18 बिस्वा, 143 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 143 रकबा 2 बिस्वा थे। उक्त विवादित आराजीयात मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

राजाजी की मन्दिर माफी की भूमि रही है। ग्राम थाना जागीर का गांव था और विवादित आराजीयात का पूर्व में जागीरदार यशवन्तसिंह था जिसने विवादित आराजीयात मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थाना के भोग खर्च की व्यवस्था हेतु तत्कालीन पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर को माफी में दी थी। इससे बखूबी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मन्दिर माफी की भूमि है। और विवादित आराजीयात से होने वाली पैदावार से ही मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के भोग खर्च की व्यवस्था होती है। मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थाना देवस्थान विभाग में भी दर्ज है। और देवस्थान विभाग की ओर से जारी भोग खर्च की राशि पूर्व में स्व0 जगदीश प्रसाद प्राप्त करते रहे हैं और वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 1 बदस्तूर अब तक प्राप्त करता रहा है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में संवत 2022 तक मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम मन्दिर माफी में अंकित रही है किन्तु संवत 2025 में जमाबंदी बनते वक्त जगदीश प्रसाद ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विवादित आराजीयात के बखाने खातेदारी से मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज का नाम हजफ करवाकर तन्हा अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली और उसके बाद सन 1975 में जगदीश प्रसाद का स्वर्गवास हो गया तथा जगदीश प्रसाद के स्वर्गवास के बाद सन 1976 अर्थात संवत 2033 में जगदीश प्रसाद की विरासत का नामान्तकरण संख्या 92 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया जो आज भी अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । विवादित आराजीयात के साथ ही आराजी हाल खसरा नंबर 648 रकबा 0.04, 649 रकबा 0.25, 658 रकबा 0.80, 659 रकबा 0.04 कुल किता 4 कुल रकबा 1.13 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 239 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 240 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ भी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जगदीश प्रसाद को मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के भोग खर्च की व्यवस्था हेतु दी गई थी जो भी जगदीश प्रसाद ने गलत तरीके से अपनी निजी खातेदारी में दर्ज करवा ली थी और जिस आराजी का भौरया माली निवासी ग्राम थाना हाली था और साल दर साल बंटाई पर फसल पैदा किया करता था किन्तु भौरया माली ने उक्त आराजीयात को कब्जे के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने के लिये एक वाद अनुवानी भौरया बनाम जगदीश उपजिलाधीश महोदय राजगढ के यहां प्रस्तुत किया जिस वाद को न्यायालय द्वारा ना केवल खारिज किया गया बल्कि विवादित आराजीयात को मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थाना के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश निर्णय दिनांक 27.04.1984 में प्रदान किये जिस निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष एवं द्वितीय अपील राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जहां भी उक्त निर्णय दिनांक 27.04.1984 को यथावत रखा गया और अन्ततः आदेश दिनांक 27.04.1984 की पालना में उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थाना की खातेदारी में अंकित की जा चुकी है जो इन्द्राज आज भी बदस्तूर कायम है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति सदैव नाबालिग होती है। मूर्ति के भोग खर्च की भूमि पर पुजारी को हकूक खातेदारी प्राप्त नही होते हैं। तथा पुजारी मूर्ति के भोग खर्च की भूमि को निजी खातेदारी में दर्ज नही करा सकता और ना ही किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से मुंतकिल कर सकता है। और यदि फिर भी पुजारी द्वारा मन्दिर मूर्ति के भोग खर्च की भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो ऐसा बेचान प्रारम्भतः ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

अकृत और शून्य होता है एवं कानूनन उसका कोई प्रभाव नही होता है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी का गलत इन्द्राज होने की आड में आराजी खसरा नंबर 650 रकबा 0.30 है0 में आवासीय भूखण्ड कायम करते हुये अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 14 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिये हैं। जबकि देवस्थान विभाग से मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के भोग खर्च हेतु वार्षिक वृत्ति प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ अप्रार्थी संख्या 1 व उससे पूर्व जगदीश प्रसाद द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि वह मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि को अपने खाते में अंकित नही करावेगा और ना अवैध बेचान करेगा किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने कानून एंव नियमों की सरासर अवहेलना करते हुये मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के भोग खर्च की भूमि का गलत तरीके से बेचान कर दिया जो बेचान प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य है। जिनसे अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 14 को विवादित आराजीयात में कोई अधिकार हस्तान्तरित नही होते हैं। क्षेत्र में भूमाफिया गिरोह सक्रिय है जो मन्दिर माफी की भूमियों को औने पौने दामों में खरीदकर प्लॉटिंग का धंधा करते हैं और इसी श्रंखला में विवादित आराजी खसरा नंबर 650 का बेचान हुआ है जबकि बेचान से पूर्व ही ग्राम पंचायत थानाराजाजी के वर्तमान सरपंच नन्दलाल मीना एवं अन्य ग्रामवासियान द्वारा अप्रार्थी संख्या 16 को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई थी।किन्तु समस्त अप्रार्थीगण आपस में मिले हुये है। जिन्होंने मिलीभगत कर जानकारी में आने के बावजूद मन्दिर माफी की भूमि के बयनामें पंजीबद्ध कर दिये। अप्रार्थी संख्या 1 गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजीयात में से अन्य खसरा नंबरान को भी ऐसे ही भूमाफियाओं से मिलकर जल्द से जल्द बेचान करने की फिराक में है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने बाद बहस दिनांक 10.06.2016 को खारिज फरमा दिया गया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया और तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी तजवीज दिनांक 10.06.2016 में प्रथमदृष्टया मामला तय करते समय अपनी राय जाहिर की है कि मुताबिक जमाबंदी हाल संवत 2068 से 71 वाके ग्राम थाना के अंकित इन्द्राज से प्रथमदृष्टया आराजी विवादित की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 की साबित है। जैसाकि प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व जबाव में भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि आराजी विवादित बंदोबस्त 2046 से पूर्व प्रार्थी के पिता जगदीश प्रसाद तथा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी है तथा आराजी पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थी संख्या 1 के होने के बाबत तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी स्वीकार किया है। इस प्रकार आराजी विवादित पर प्रथमदृष्टया खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 की साबित होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में प्राईमाफेसी केस साबित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन कतई गलत है क्योंकि प्रार्थी अपीलांट ने अपने अभिवचनों में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजीयात मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थानाराजाजी की मन्दिर माफी की खुदकाश्त की भूमि रही है जिसको पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

जागीरदार यशवन्तसिंह द्वारा मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के भोग खर्च की व्यवस्था हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व तत्कालीन पुजारी जगदीश प्रसाद को माफी में दी थी। इससे बखूबी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मन्दिर माफी की भूमि है। और विवादित आराजीयात मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि होने के कारण भूमि से होने वाली पैदावार से ही मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के भोगखर्च की व्यवस्था होती रही है। जिसके समर्थन में प्रार्थी अपीलांट नकल मिसल बंदोबस्त खतौनी संवत 2014 पेश की है जिसमें माफी मन्दिर श्री सीताराम जी बहतमाम पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधार ब्राहमण साकिन देह की खातेदारी का अंकन है तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त माफीदार स्पष्टतया अंकित है। इससे बखूबी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज की मन्दिर माफी की खुदकाश्त भूमि है और जगदीश प्रसाद महज मन्दिर मूर्ति का पुजारी व संरक्षक रहा है और पुजारी को मन्दिर मूर्ति के खुदकाश्त माफी की भूमि की बाबत कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। विवादित आराजीयात संवत 2009 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने के समय भी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के माफी एवं खुदकाश्त की भूमि थी और उसके बाद संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के वक्त भी विवादित आराजीयात का काश्तकार मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज होने के कारण राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 के तहत खातेदारी अधिकार भी मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज में निहित हो गये और उसके पश्चात संवत 2014 तक राजस्व रिकार्ड बंदोबस्त खतौनी में उपरोक्त इन्द्राज अंकित रहा किन्तु संवत 2017 में तत्कालीन पुजारी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जगदीश प्रसाद ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर कृषक खाने में खुदकाश्त माफीदार के स्थान पर खुदकाश्त जगदीश प्रसाद पुजारी अंकित करवा लिया। तथा संवत 2025 में विना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के मन्दिर माफी का इन्द्राज हजफ करवाकर स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवा ली जिसका कि उसे कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही था।

अधिवक्ता अपीलांट का बहस के दौरान कथन है कि मन्दिर माफी की भूमि के संबंध में कानून का स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय जो भूमि मन्दिर माफी खुदकाश्त रही है वे सदैव मन्दिर माफी की ही रहेगी और यदि कालान्तर में ऐसी भूमि पुजारी या किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी मेंदर्ज हो गई है तो उन्हें पुनः इन्द्राज दुरूस्त करके मन्दिर माफी में अंकित किया जावेगा तथा विवादित आराजीयात के संवत 2014 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के माफी खुदकाश्त की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी अपीलांट का बनता है किन्तु अधीनस्थ अदालत ने विपरीत निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट प्रार्थी विवादित भूमि का कागजात माल में यानि खतौनी बंदोबस्त संवत 2014 में बतौर खातेदार अंकित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात तथा राजस्व रिकार्ड की पूर्णतः अनदेखी की है तथा अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का गलत अर्थ लगाते हुये मात्र यह कह देना कि पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत नजीर दावे के निर्णय से संबंधित हैं उक्त प्रार्थना पत्र पर चस्पा नही होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहत अदालत ने रेस्पो0 अप्रार्थी संख्या 1 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

अनुचित लाभ देने की गरज से कानून की अवहेलना की है। तहत अदालत द्वारा आराजी विवादित पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त साबित होना माना है जबकि विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा मूर्ति मन्दिर जो नाबालिग की श्रेणी में आती है, के संरक्षक की हैसियत से है ना कि खातेदार की हैसियत में और प्रार्थी अपीलांट के अभिकथनों एवं स्वयं रेस्पो0 अप्रार्थी 1 की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजीयात में से खसरा नंबर 650 रकबा 0.30 है0 में प्लाटिंग कर बेचान कर दिया है और शेष आराजीयात को भी जल्द से जल्द विक्रय कर आराजीयात की किस्म आबादी परिवर्तन कर रहा है जिससे मन्दिर मूर्ति को नापूर्ति होने वाली क्षति हो रही है। जबकि प्रार्थी अपीलांट का वाद महज स्थाई निषेधाज्ञा का नही होकर इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती का भी है तो ऐसी स्थिति में वाद के अन्तिम निर्णय पर यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि विवादित आराजीयात मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज की माफी व खुदकाश्त की भूमि है तो विवादित आराजीयात के इस अवधि में होने वाले अन्तरणों को निरस्त करवाकर पुनः मूल स्थिति में लाना बहुत ही पेचीदा हो जावेगा इसलिये भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर कानूनी भूल की है जो तजबीज अधीनस्थ न्यायालय काबिल कायमी नही है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है और मन्दिर मूर्ति नाबालिग के अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायालय का है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तरीके से निरस्त की है जो लोकनीति के खिलाफ है। अतः अपीलांट प्रार्थी की अपील मंजूर फरमाते हुये निर्णय दिनांक 10.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ को निरस्त किया जाकर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2016 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मंजूर किये जाने एवं अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का तर्क है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में मिन अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है।उक्त वर्णित आराजीयात को अपीलांट ने कतई गलत तौर पर विवादित कथन किया है। उक्त आराजीयात से अपीलांट का कोई संबंध नही है। उसका दावा लाने का कोई अधिकार नही है।उक्त विवादित आराजीयात कभी भी माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज ग्राम थाना राजाजी की नही रही अपितु उक्त भूमि खुदकाश्त जगदीश प्रसाद रही है। जमाबंदी 2017 खाता संख्या 212 इसकी ताईद करती है। ग्राम थानाराजाजी के पूर्व में यशवन्त सिंह जागीरदार थे परन्तु उक्त भूमि यशवन्तसिंह द्वारा मन्दिर के भोग खर्च के लिये नही दी थी अपितु उक्त भूमि यशवन्त सिंह से पूर्व ही श्री जगदीशप्रसाद मिन प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 1 के पिता को दी गई थी। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2012 में उनकी खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। जो माफी केवल पुजारी के नाम है। न कि इस प्रकार धारा 17 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जमीदार या बिस्वेदार जिसकी सम्पदा राजस्थ जमीदारी और बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई और उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि को जो व्यक्ति खुदकाश्त में था वह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अनुसार स्वयं मालिक हो गया। और मन्दिर मूर्ति के सभी अधिकार समाप्त हो गये। विवादित कृषि भूमि संवत 2012 में ही जगदीश प्रसाद की खुदकाश्त में रही है तो 2022 में मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

के नाम कागजात माल में अंकित होने का कोई प्रश्न ही नही है। चूंकि जागीर जप्ती और जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 के प्रभाव में आने के समय उक्त भूमि स्व0 जगदीश प्रसाद की खुदकाश्त में दर्ज थी। इसलिये स्वतः ही विधि अनुसार उक्त भूमि संवत 2025 में जगदीश प्रसाद की खातेदारी में दर्ज हो गई। श्री जगदीश प्रसाद की मृत्यु के बाद विधि अनुसार जगदीश प्रसाद की विरासत का नामान्तकरण मिन अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ है। वर्णित कृषि भूमि हमेशा से मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान ग्राम थाना राजाजी की खुदकाश्त और खातेदारी में दर्ज थी इसलिये भौरया माली का दावा खारिज हुआ और आराजीयात मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज की गई। वर्तमान आराजी खसरा नंबर 650 कभी भी ठाकुर जी श्री सीताराम जी महाराज की खुदकाश्त में नही रही और न ही उन्हें कभी माफी में मिली अपितु उक्त भूमि हमेशा से मिन अप्रार्थी रेस्पो0 के स्व0 पिता जगदीश प्रसाद की खुदकाश्त में रही है और वर्तमान में मिन अप्रार्थी रेस्पो0 की खातेदारी में अंकित है।जिसमें मिन अप्रार्थी रेस्पो0 ने आवासी भूखण्ड नियमानुसार और विधि अनुसार काटकर विक्रय किये हैं। जो विक्रय किसी भी प्रकार अकृत एवं शून्य नही है और क्रेतागणों को सभी प्रकार के विधिक अधिकार प्रदान करता है। भूखण्डों के सदभावी क्रेता होने के नाते किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। मंदिर मूर्ति का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है। यदि राजस्व अभिलेख में अभिधारी का नाम किसी भी रूप में अभिलिखित है तो वह अभिधारी राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खातेदार हो जाता है। चाहे वह भूमि देवमूर्ति की ही क्यों ना हो। इस प्रकार विधि अनुसार मिन अप्रार्थी रेस्पो0 के पिता और मूल अप्रार्थी रेस्पो0 को उक्त भूमि पर सही खातेदारी प्रदान की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 10.06.2016 का अवलोकन किया ।

वाद लाने का अधिकार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। कोई भी हितैषी/वादमित्र/भक्तगण मंदिर मूर्ति की ओर से वाद दायर कर सकता है।आर.एल.डबल्यू 2009(2) आर.जे 724

जमाबंदी संवत 2012 खाता संख्या 211 के कॉलम संख्या 4 में माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमास पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राहमण सा.देह माफीदार एवं कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त अंकित है। मुताबिक रिकार्ड मिसल बंदोबस्त 2014 खतौनी खाता संख्या 164, उक्त विवादित आराजीयात यशवन्तसिंह जागीरदार के नाम रही है, के संबंध में कॉलम संख्या 3 यशवन्तसिंह, कॉलम संख्या 4 में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राहमण सा. देह,कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त माफीदार अंकित है। नामान्तकरण पंजिका 13.03.1963 ग्राम थाना के अवलोकन से कॉलम संख्या 4 में माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमाम पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राहमण साकिन देह माफीदार , कॉलम 5 में खुदकाश्त एवं कॉलम संख्या 11 में परिवर्तन कर जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राहमण साकिन देह खातेदार(माफीदार) अंकित किया है। परन्तु जमाबंदी खतौनी संवत 2025 में कॉलम संख्या 4 में जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर ब्राहमण साकिन देह खातेदार अंकित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

उपर्युक्त राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2012 एवं मिसल बंदोबस्त संवत 2014 ग्राम थाना में भी स्पष्ट रूप से यह भूमि जागीरदार यशवन्तसिंह की है जो माफी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम है और बहैसियत पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र विद्याधर अंकित है। यह मन्दिर की खुदकाश्त माफीदार की भूमि है। नामान्तरण वर्ष 1963 एवं तत्पश्चात हुये राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का कोई आदेश/निर्णय पत्रा0 में संलग्न नही है। साबिक खसरा नंबर का हाल खसरा नंबर से मिलान करने पर विवादित आराजीयात का बेचान पुजारी जगदीश प्रसाद द्वारा किया गया है।

अनेक न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त तय हो चुका है कि सेवारत/पुजारी द्वारा जोती गई खुदकाश्त भूमि को उसकी निजी काश्त में होना नही माना गया है।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनरारम्भ अधिनियम 1952 धारा 22, 23 की तिथि के बाद हिन्दु मूर्ति के सेवायत/पुजारी द्वारा अपने नाम पर धारित जागीर/माफी भूमि उन्हें न तो अधिकार देगी और न ही उस भूमि को अन्य संक्रामण कर सकते हैं।ऐसी भूमि का उनके द्वारा किया गया अन्य संक्रामण अकृत और शून्य होगा व अप्रभावी होगा।

उक्त दस्तावेजों से विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय और उससे पूर्व भी मंदिर मूर्ति खुदकाश्त के नाम दर्ज है जिसे बाद में बिना किसी सक्षम आदेश के बदल दिया है। यह विधि विरूद्ध है क्योंकि राजस्व कर्मियों को इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नही है।

1995 आर.आर.डी पेज 418 में माननीय वृहत बैंच द्वारा पारित अभिमत के अनुसार मंदिर माफी की भूमि में पुजारी/सेवारत/श्रमिक/मैनेजर आदि को खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि मंदिर माफी की भूमि पर केवल काश्त के आधार पर अधिकार प्राप्त नही होते हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 विवादित भूमि मंदिर माफी की थी। खातेदारी पुजारी को दे दी गई। जिसने उसे अप्रार्थीगणों को बेचा। अभिनिर्धारित मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। मंदिर मूर्ति भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः न्यायालय यह उचित समझता है कि वादों की बहुलता रोकने के लिये एवं प्रथमदृष्टया कब्जा सिद्ध होने तथा उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के निर्णय दिनांक 10.06.2016 को निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेण्टान को पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात का आगे रहन बय ना करें। रेस्पो0 संख्या 15 को आदेशित किया जाता है कि यदि पूर्व में किये गये रहन बय का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किया गया है तो आगे भी ना करें। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

राजस्व अपील प्राधि॰
अलवर (राज॰)

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)